फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

अनुदान संख्या-91-स्टाम्प एवं पंजीकरण आयोजनेत्तर

वित्तीय वर्ष 2014-15

(धनराशि हजार रूपये में)

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि		
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2030-स्टाम्प पंजीकरण आयोजनेत्तर					
03 पंजीकरण					
001 निदेशन तथा प्रशासन					
04 जिला व्यय					
00					
17 किराया उप शुल्क और कर स्वामित्व	20000	12687	722	722	19278
योग-	20000	12687	722	722	19278

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।		
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत/ आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (8-9)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2030-स्टाम्प पंजीकरण आयोजनेत्तर					
03 पंजीकरण					
001 निदेशन तथा प्रशासन					
04 जिला व्यय					
00					
16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1000	1722	722	722	1722
योग-	1000	1722	722	722	1722

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

(i) जनपदो द्वारा मांग पत्र प्राप्त न होने के कारण बचत हुई है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

(i) व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु धनराशि की मांग की जा रही है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता ।

संख्या:-RE-540/यू0ओ0ई-9-118/दस-15 दिनांकः 25 मार्च, 2015

सेवा में,

महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव,
कर एवं निबन्धन विभाग।

(राम सुमेर)
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या-6/2015/657/11-5-2015-218(2)/15 दिनांक 27/03/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-754/शि0का0लख0/2015 दिनांक 18-03-2015 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि जिस मानक मद की संभावित बचत से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में अतिरिक्त धनराशि का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा।

4- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

6- वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2

7- गार्डफाइल।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in